राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	3277 / 2023	सुरेन्द्र सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला नागौर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय, बरवाला, मकराणा, नागौर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
2.	3276 / 2023	उदा राम गोदारा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर मण्डल, अजमेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला नागौर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा.विद्यालय, मोरेर, मकराणा, नागौर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
3.	07 / 2024	घनश्याम कुमार गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला अलवर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
4.	23 / 2024	अजीज अहमद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर संभाग, अजमेर। 4. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला डीडवाना–कुचामन।	श्री नितेश कुमार गर्ग
5.	103 / 2024	राम किशोर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शिक्षा नागौर जिला नागौर। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जायल, नागौर।	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
6.	1338 / 2024	शिवनारायण भादू	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला श्रीगंगानगर।	श्री नितेश कुमार गर्ग

7.	1339 / 2024	रामजस	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला श्रीगंगानगर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
8.	1340 / 2024	डूंगर राम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला श्रीगंगानगर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
9.	1639 / 2024	रेखा पोरवाल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, जिला भीलवाडा। 4. पीईईओ / प्रधानाचार्य, रा.बा.उ.मा.वि., बापूनगर, भीलवाडा।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
10.	1714 / 2024	अनिल कुमार शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गोविन्दगढ, जयपुर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
11.	1715 / 2024	संजय कुमार गहलोत	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, जिला जयपुर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
12.	1726 / 2024	कमलेश कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।	श्री सुरेन्द्र सिंह

आदेश की दिनांक : 23.05.2024

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल एवं श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्तागण

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3277 / 2023 सुरेन्द्र

सिंह की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 31.03.1990 से हुई थी, जिस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 05.04.1990 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी का समायोजन वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.10.1997 के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किया गया जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.7.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की ग्रेड पे 3600 की गई। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए.सी.पी. 4200 की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 4800 ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 27 वर्षीय ए.सी.पी. पर 5400 ग्रेड पे निर्धारित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 18 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 04.03.2009 के द्वारा दिनांक 02.07.2008 से दिया। अपीलार्थी की सेवा 27 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.2017 से देय है तथा अपीलार्थी का वेतनमान दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 5400 पर निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 20.09.2017 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अपीलार्थी से पूर्व वेतन निर्धारण को संशोधित कर ग्रेड पे 5400 के स्थान पर 4800 पर नियत किये जाने के आदेश जारी किए। अपीलार्थी को 27 वर्षीय ए.सी.पी. का भुगतान हुआ साथ में पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के समान अन्य कर्मचारियों को आदेश दिनांक 05.07.2013 की पालना में ग्रेड पे 3600 मानते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आधार पर ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त वेतनमान का लाभ देते हुए समस्त वेतन का भुगतान मय ब्याज सहित दिया जावे। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अपीलार्थी के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 08.10.1997 को यह आदेश पारित किया कि राज्य सरकार द्वारा 24.7.1997 एवं 27.8.1997 द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, नागौर के आदेश द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवा

27 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 5400 ग्रेड पे में फिक्स किया जाना चाहिए था, परन्तु उक्त सेवा नियमों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध एवं अनुचित रूप से आदेश दिनांक 20.09.2017 से पूर्व में फिक्सेशन को संशोधित करते हुए 4800 के स्थान पर 4200 के आदेश पारित किए, जो अवैध एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी की सेवा 9, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 में फिक्सेशन करते हुए अपीलार्थी को 7वें वेतन आयोग का निर्धारण करते हुए समस्त एरियर का भुगतान मय पेंशन परिलाभ सहित 12 प्रतिशत ब्याज के साथ दिलाये जाने का आदेश प्रत्यर्थीगण को फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी में प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफ. डी रूल्स/2008I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या–7 (ii) के अन्तर्गत का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार (Regular service for grant of benefits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) के आदेश क्रमांक प. 14 (88)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। अतः उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9,18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित

वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित नियम/2008 दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय (9,18,27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित विभाग के आदेश क्रमांक प. 18 (88) वित (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार याचि को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर 4800 ग्रेड पे में वेतन देय है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.1998 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500—7000 निर्धारित किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.01.2006 से 30.06.2013 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। जिसको आदेश दिनांक 05.07.2013 से (प्रभावी दिनांक 01.07.2013) ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानो के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07.2013 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है। अतः अपील एवं स्थगन प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने—अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमान सामग्री का गंभीरतापूर्वक कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी

के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो वह राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 3277/2023 सुरेन्द्र सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों को पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जाये।

आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)